



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नानौता पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त को नोटिस तामील कराकर जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष नानौता श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.03.2025 को थाना नानौता पुलिस द्वारा **हिस्ट्रीशीटर अपराधी शाहरुख पुत्र ताहिर निवासी मौ० छत्ता कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर** के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम में प्रभावी निवारक कार्यवाही करते हुए अपर जिलाधिकारी (वित्त एव राजस्व) महोदय के आदेशानुसार जिलाबदर घोषित किये जाने के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को जिला बदर का लाउड स्पीकर व मुनादी कराते हुए विधि पूर्वक नोटिस तामील कराया गया। तथा अभि० को जिला बदर के सम्बन्ध में पूर्ण हिदायत करते हुए जनपद सहारनपुर की सीमा से थाना क्षेत्र में मिलने वाली जनपद शामली की सीमा में छोड़ा गया।

जिला बदर अभियुक्त का नाम व पता –

शाहरुख पुत्र ताहिर निवासी मौ० छत्ता कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर

जिला बदर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 306/19 धारा 307 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 307/19 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 34/19 धारा 136/137 विद्युत अधि० थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. मु०अ०सं० 421/18 धारा 395/397/412 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. मु०अ०सं० 217/19 धारा 392/411 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. मु०अ०सं० 218/19 धारा 307 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर
7. मु०अ०सं० 370/18 धारा 395/412 भादवि थाना नागल जनपद सहारनपुर
8. मु०अ०सं० 398/19 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर
9. मु०अ०सं० 180/20 धारा 188/269/270 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर
10. मु०अ०सं० 76/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर

नोटिस तामील करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० धीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. उ०नि० सुरेन्द्र शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. है०का० 823 नीरज थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. एचजी 2030 जीशान थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 09.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मुकदमें में
वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 23.02.2025 को वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्तगण 1. नौशाद पुत्र इल्ताफ 2. सलमान पुत्र इल्ताफ निवासी ग्राम बंजारेवाला थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 45/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस एवं 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, महिलाओं के विरुद्ध होने वाली आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर/सहायक पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.03.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **नौशाद पुत्र इल्ताफ निवासी ग्राम बंजारेवाला थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड** को बडकला फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नौशाद पुत्र इल्ताफ निवासी ग्राम बंजारेवाला थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम विवरण: -

1. म0उ0नि0 श्रीमती सुमन थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अनिल तेवतिया थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1551 अमित तोमर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।